मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक 04/परीक्षा/2012/17.12.2012 **परीक्षा तिथि 21.04.2013** **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16.01.2013**

महत्वपूर्ण

1. **आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्र दिनांक 17.12.2012 (दोपहर 12.00) से 16.01.2013 (रात्रि 12.00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते हैं।**
2. **आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में दिनांक 22.12.2012 से 18.01.2013 तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र, ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा।**
3. **ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/लिंग (महिला/पुरुष)/निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक/शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन सरसरी तौर पर अमान्य किये जायेंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।**
4. **इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पद हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 21.04.2013 को (दो सत्रों में प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे** तक तथा **दोपहर पश्चात् 2.00 बजे से 4.00 बजे तक)** इंदौर स्थित निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र **दिनांक 01.04.2013 से 20.04.2013 तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com** पर उपलब्ध रहेंगे।
5. विज्ञापन के संदर्भ में नवीन सूचनायें आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com** पर प्रसारित की जायेंगी। यद्यपि आयोग अपनी समस्त सूचनाओं को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करता है किंतु तत्काल सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना ही पर्याप्त होगी। आवेदक नवीन सूचनाओं हेतु आयोग की वेबसाइट का सतत् अवलोकन करें।

एक - भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग** के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों में से वर्गवार मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद				रिक्तियों में से निःशक्त आवेदकों के लिये आरक्षित पद			
		अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.	अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.	अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.
खनि निरीक्षक (Mining Inspector)	30	15	05	06	04	05	01	02	01	**02** 01 अस्थिबाधित 01 श्रवणबाधित	**02** 01 अस्थिबाधित 01 दृष्टिबाधित	**01** श्रवणबाधित	**01** दृष्टिबाधित

टीप- (i) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हताएं, अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

(ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में लिखित परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक परिवर्तन किया जा सकता है।

(iii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(iv) **किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।**

(v) **खनि निरीक्षक के पद हेतु सभी निःशक्तता श्रेणी के 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक निःशक्त आवेदक आवेदन करने हेतु पात्र हैं।**

दो पद का विवरण–

01 (अ) पद का नाम : **खनि निरीक्षक (Mining Inspector)**

(ब) विभाग का नाम : **मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग**

(स) श्रेणी : अराजपत्रित तृतीय श्रेणी

(द) पद स्थिति : अस्थायी

(इ) वेतनमान : ₹ 5200-20200 + 2800 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(ज) अर्हता : **किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भूगर्भ विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक अथवा यांत्रिकी खनिकर्म में पत्रोपाधि (डिप्लोमा)**

(फ) कर्तव्य : खनि रियायतों के आवेदनों पर प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन देना। स्वीकृत खनि रियायतों की वर्ष में कम से कम दो बार जांच करना, अभिलेखों का परीक्षण करना, नियमांतर्गत कार्य एवं रायल्टी भुगतान की समुचित कार्यवाही करना। पहचान न हो पाने वाले खनिजों के नमूने लेकर जांच हेतु भेजना। अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम करना तथा पकड़े गये प्रकरणों पर कार्यवाही करना। अधिकार कर का निर्धारण करना, अधिकार कर एवं नियमांतर्गत देय अन्य करों को जमा करने की कार्यवाही करना। कार्यशील खदानों की सूची तैयार करना, खनि रियायत से संबंधित समस्त पंजियां संधारित कराना, विभिन्न पत्रकों में दी जाने वाली जानकारी तैयार कराना। प्रभार क्षेत्र में खनिज राजस्व बकाया की वसूली में सहयोग देते हुए तत्परता बरतना। कलेक्टर एवं खनि अधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्य तथा शासन, संचालक/कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

टीप - संबंधित उपाधि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था की होनी चाहिए।

तीन 1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवासी के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हैं, आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा।

2. मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

चार **आयु सीमा- 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी आवेदकों हेतु : 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

पांच **आयु संगणना तिथि 01.01.2013 होगी।**

आयुसीमा में दी गई अन्य छूटों के लिये **परिशिष्ट-1** देखें।

मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी।

छः **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अनर्हता-**

अ. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरुष हेतु 21 वर्ष तथा महिला हेतु 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

सात महत्वपूर्ण- **यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।**

आठ अधिवार्षिकी आयु- 60 वर्ष।

नौ **चयन प्रक्रिया- उपरोक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तांकों के आधार पर होगा।** लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी के आवेदकों को पदों की संख्या के 3 गुणा के अनुपात में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिये प्रत्याशियों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त प्रत्याशियों को अंकों में दस प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इस प्रकार उनके लिये लिखित परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से साधारण डाक द्वारा पत्र भेजकर सूचित किया जायेगा। आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। **चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।**

टीपः- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रूल्स ऑफ प्रोसीजर (यथा संशोधित वर्ष 2007) के अनुसार यदि आवेदकों की संख्या विज्ञापित पदों के छः गुना तक होती है तो ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी तथा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर गुणानुक्रम अनुसार विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों की संख्या से 4 गुना आवेदकों को सीधे साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-3 देखें।

दस **परीक्षा की तिथि-** लिखित परीक्षा **दिनांक 21.04.2013** को दो सत्रों में **प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक** तथा **दोपहर पश्चात् 2.00 बजे से 4.00 बजे तक** आयोजित की जायेगी।

प्रश्न पत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि के संदर्भ में आवेदक परीक्षा तिथि के 15 दिवस पश्चात् तक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त अवधि के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

ग्यारह **परीक्षा केंद्र-** लिखित परीक्षा इंदौर स्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जायेगी।

बारह **आवेदन प्रक्रिया-** उक्त पद हेतु आवेदन पत्र मात्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

तेरह **प्रवेश पत्र प्राप्ति प्रक्रिया-** परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र **दिनांक 01.04.2013 (दोपहर 12.00 बजे) से 20.04.2013 (रात्रि 12.00 बजे से)** तक **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com** पर उपलब्ध रहेंगे। अर्हताधारी आवेदक अपने **प्रवेश-पत्र** उक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकेंगे, पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु आवेदक को वेबसाइट में विहित स्थान पर उसके आवेदन-पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि करनी

होगी।

एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु 5 रुपये पोर्टल शुल्क देय होगा।

चौदह आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते पर ही आयोग द्वारा समस्त पत्र-व्यवहार किया जायेगा। यदि आवेदक का पता परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को चाहिये कि वह अविलंब नये पते की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करें ताकि आयोग नये पते पर पत्र-व्यवहार कर सके। आवेदक द्वारा पता परिवर्तन की स्थिति में नये पते की सूचना न देने पर समस्त पत्र-व्यवहार पुराने पते पर ही किया जावेगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

पंद्रह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें-

(i) आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट-1**

(ii) आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

(iii) परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-3**

परिशिष्ट-1

(एक) उच्चतम आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

(1) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के **परिपत्र क्रमांक सी 3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012, एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-11/2012/3/एक, दिनांक 20.11.2012** द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये निर्धारित 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा (मध्यप्रदेश के मूल निवासियों हेतु) को बढ़ाकर 40 वर्ष नियत करते हुये निम्नानुसार छूट की गणना अधिसूचित की गयी है:-

1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2.	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग	45 वर्ष
4.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग - शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6.	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष

विशेष - सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुये किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) निःशक्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट देय होगी। खनि निरीक्षक के पद हेतु सभी श्रेणी के 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक निःशक्त आवेदक पात्र होंगे। निःशक्त आवेदकों को चिकित्सा मंडल द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र जिसमें 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक निःशक्तता प्रमाणित हो, ही मान्य किये जायेंगे।

(3) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा का योग हो) कम कराने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण-

छंटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(4) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण-

मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) के अनुसार

"2. (ग) भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र वलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित हैं, किसी भी रेंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की हो और

(एक) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अवचार या अक्षमता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो या ऐसी निर्मुक्ति के लंबित रहने तक रिजर्व में अंतरित किया गया हो, या

(दो) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अंतरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः मास से अनधिक अवधि के लिये सेवा करनी पड़ी हो।

(तीन) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो।"

टीप- **भूतपूर्व सैनिक की उक्त परिभाषा "मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी पदों पर आरक्षण) नियम 1985" के संशोधनों के अध्यधीन रहेगी।**

(दो) प्रोत्साहनस्वरूप दी गई छूटें

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्डधारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3) 1, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जावेगी।

टीप- (1) **परिशिष्ट-1 (दो)** के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला आवेदकों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे।

(सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट- 1. उपरोक्त परिशिष्ट-1 (एक) (1 से 4) परिशिष्ट-1 (दो) (1 से 3) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।
2. आवेदकों को उपरोक्त सभी छूटें देय होंगी किन्तु समस्त छूटों को शामिल करते हुये भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. खनि निरीक्षक (Mining Inspector) के पद के लिये ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे-
   1. www.mponline.gov.in
   2. www.mppsc.com
   3. www.mppsc.nic.in
2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। **mponline** के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
3. आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
4. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने अद्यतन फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। एम.पी. ऑनलाइन अधिकृत **KIOSK** पर स्केनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र **Submit** करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़कर एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ही आवेदन **Submit** करें।
7. आवेदन पत्र **Submit** करने के बाद खुलने वाले **Pop up Window** में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का भी उल्लेख होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट कर अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।
8. **त्रुटि सुधार सुविधा** :- आवेदक अपना आवेदन सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 22.12.2012 से 18.01.2013** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र, ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार किया जा सकेगा। यह सुधार आवेदक स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही कर सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चात्वर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा।** आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार हेतु प्राप्त लिखित अभ्यावेदन मान्य नहीं किये जायेंगे तथा उन्हें सरसरी तौर पर नस्तीबद्ध किया जायेगा। **एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।**

   ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/लिंग (महिला/पुरुष)/भूतपूर्व सैनिक/निःशक्तता/शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन सरसरी तौर पर अमान्य किये जायेंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।

09. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि, उसके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वह परीक्षा हाल की उपस्थिति सूची, साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. परीक्षा एवं आवेदन शुल्क

(अ) मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं के लिए आवेदन शुल्क ₹ 30/- तथा परीक्षा शुल्क ₹ 60/- कुल ₹ 90/- देय होगा।

(ब) निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये आवेदन शुल्क ₹ 30/- तथा परीक्षा शुल्क ₹ 60/- कुल ₹ 90/- देय होंगे। पदों हेतु मात्र 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत निःशक्त आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे।

(स) शेष सभी श्रेणी के एवं मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क ₹ 60/- तथा परीक्षा शुल्क ₹ 120/- कुल ₹ 180/- देय होंगे।

उक्त शुल्क के साथ प्रत्येक आवेदक को ₹ 35 पोर्टल शुल्क देय होगा।

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए कुल शुल्क	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए कुल शुल्क
₹ 90/-	₹ 180/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹ 35/- अतिरिक्त देय होगा।	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एम.पी. ऑनलाइन से निम्न दूरभाष पर

संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, कॉल सेंटर- 155343 (टोल फ्री)
तकनीकी समस्या के लिए : बिनोय एम. जॉर्ज (0755) 4019410

टीप:- आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा :-

1. आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये अथवा
2. किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।

नोट :- यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर

(0731) 2701624, 2701983

एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, निरुपम शॉपिंग माल, द्वितीय तल अहमदपुर, होशंगाबाद रोड

भोपाल-422026

फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, कॉल सेंटर- 155343 (टोल फ्री)

तकनीकी समस्या के लिए : बिनोय एम. जॉर्ज (0755) 4019410

3. आवेदन की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 16.01.2013** है। अंतिम तिथि को रात्रि **12.00** के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

4. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण-पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन पत्र के साथ निम्न प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि में अनुप्रमाणन फार्म/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

आयु संबंधी प्रमाण के लिये- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियां।

जाति के प्रमाण पत्र :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिये अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन-पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण (जो कि आवेदन की अंतिम तिथि को छः माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में आवेदक का कोई वचनपत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। **विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। (प्रमाण-पत्र फोटोप्रति संलग्न करें)। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण-पत्र भी आवश्यक है अर्थात जिन प्रमाण-पत्रों में आय संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन (पिता/पति) का शपथ पत्र संलग्न करें।**

निःशक्तता प्रमाण पत्र :

निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-01-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 9.1.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मंडल से प्राप्त नवीनतम (Latest) प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। आवेदक लिफाफे पर निःशक्त भी लिखें। खनि निरीक्षक (Mining Inspector) के पद हेतु विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत होने पर ही निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को देय छूटों का लाभ प्राप्त होगा।

निःशक्त आवेदकों को देय सहलेखक सुविधा -

(अ) केवल दृष्टिबाधित आवेदकों को प्रारंभिक परीक्षा में 20 मिनिट एवं मुख्य परीक्षा में 30 मिनिट अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

(ब) ऐसे परीक्षार्थी जिनके दोनों हाथ नहीं हैं या अपने दाएं बाएं हाथों का उपयोग नहीं कर सकते हैं उन्हें केवल सहायक लेखक की सुविधा दी जायेगी, समय में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी। सहायक लेखक की शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल अथवा हायर सेकेण्डरी से अधिक नहीं होना चाहिए। सह लेखक की व्यवस्था आवेदक को स्वयं करनी होगी। सह लेखक हेतु अनुमति केन्द्राध्यक्ष द्वारा ही प्रदान की जावेगी। इस हेतु आवेदक केन्द्राध्यक्ष से पर्याप्त समय पूर्व संपर्क करें।

नोट- निःशक्त आवेदकों के लिये सी.एम.ओ. (मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी) मेडिकल बोर्ड या सिविल सर्जन का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रायवेट डॉक्टर का प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। अन्य नियम यथावत रहेंगे।

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा हेतु उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

कार्यरत/छंटनी किये गये शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका- (दो-1) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिए ग्रीनकार्ड।

परिशिष्ट-1 की कंडिका- (दो-2) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिये शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका- (दो-3) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी हो, अथवा जो लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि, उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने के संबंध में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

6. अनुशासनिक निर्देश

ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग से निम्नलिखित के लिये दोषी पाया गया हो-

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो, या
2. प्रतिरूपण किया हो, या
3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो, या
4. कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
5. ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
6. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
7. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
8. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
9. उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या
10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,
11. **परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक/परीक्षक को जमा न कराते हुये अपने साथ ले गया हो।**

अपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराने के अलावा-

(क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, निरर्ह ठहराया जाने का दायी हो सकेगा और/या

(ख) उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए-
- (एक) आयोग द्वारा, ली गई किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से,
- (दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा, और

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी किन्तु इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि-
- (एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
- (दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञप्त की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न किया गया हो।

7. **अनर्हताएं-** ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. प्रवेश पत्र

01. किसी भी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

02. अर्हताधारी आवेदक अपने प्रवेश पत्र **www.mponline.gov.in** अथवा **www.mppsc.com** या **www.mppsc.nic.in** से डाउनलोड कर सकेंगे, पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र **दि. 01.04.2013 से 20.04.2013 तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध रहेंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु आवेदक को वेबसाइट में विहित स्थान पर उसके आवेदन-पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि करनी होगी। **एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु 5 रुपये पोर्टल शुल्क देय होगा।**

03. यदि प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग से निम्न पते पर संपर्क करें-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर

Ph. (0731) 2701624, 2701983

एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, निरुपम शॉपिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026

फोन (0755) दूरभाष क्र. (0755) 4019401-4019406, कॉल सेंटर- 155343 (टोल फ्री)

तकनीकी समस्या के लिए : बिनोय एम. जॉर्ज (0755) 4019410

9. लिखित परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

01. परीक्षा का परिणाम केवल "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जायेगा आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा।

02. परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें प्रकाशित की जायेंगी। अतः सफल आवेदक उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com** पर उपलब्ध कराये गये अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात् एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें।

03. साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर आवेदक की उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त हो जायेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किये नस्तीबद्ध किया जायेगा।

10. यात्रा व्यय का भुगतान-

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी तथा मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दृष्टिबाधित निःशक्त श्रेणी के ऐसे आवेदकों को जो कहीं सेवारत न हों, मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-
   - (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
   - (2) दृष्टिबाधित विकलांगता का विहित प्राधिकारी (चिकित्सा मंडल) द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र।
   - (3) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।
2. साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

सचिव

खनि निरीक्षक
अनिवार्य विषय के पाठ्यक्रम
सामान्य अध्ययन

1. **सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण :**
   सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित दैनंदिन (रोजमर्रा) अनुभव एवं अवलोकन से संबंधित प्रश्न जो किसी भी शिक्षित व्यक्ति द्वारा अपेक्षित हैं और जिन्होंने इन विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो।
2. **राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समकालीन घटनाएँ :**
   इसके अन्तर्गत प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के ज्ञान का परीक्षण किया जावेगा।
3. **भारत का इतिहास एवं स्वतंत्र भारत :**
   सामाजिक, अर्थव्यवस्था एवं राजनीति से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्र भारत के विकास के प्रश्न भी पूछे जावेंगे।
4. **भारत का भूगोल :**
   भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल के सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। इसमें भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों का समावेश होगा तथा भारतीय जनांकिकीय एवं जनगणना से संबंधित प्रश्न होंगे।
5. **भारतीय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था :**
   इसमें देश की राजनैतिक व्यवस्था एवं देश का संविधान, पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्थायें, आर्थिक विकास, चुनाव एवं राजनीतिक दलों से संबंधित प्रश्न होंगे। योजनाएँ, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, वित्तीय एवं आर्थिक संस्थाओं से संबंधित प्रश्न होंगे।
6. **खेलकूद :**
   मध्यप्रदेश, भारत, एशिया एवं विश्व में खेले जाने वाले प्रमुख खेलकूद उनकी प्रतियोगिताओं पुरस्कारों तथा व्यक्तित्वों से संबंधित प्रश्न होंगे।
7. **मध्यप्रदेश का भूगोल एवं इतिहास तथा संस्कृति :**
   मध्यप्रदेश के भूगोल में पर्वत, नदियां, जलवायु, वनस्पतियाँ, जीवजन्तु, खनिज परिवहन के विकास संबंधित प्रश्न होंगे। मध्यप्रदेश के इतिहास एवं संस्कृति में प्रसिद्ध राजवंशों का योगदान, जनजातियां, कला, स्थापत्य कला एवं ललित कलाओं के साथ ही ऐतिहासिक व्यक्तियों से संबंधित प्रश्न होंगे।
8. **मध्यप्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था :**
   इसमें प्रदेश की राजनैतिक व्यवस्था, पंचायतीराज, चुनाव एवं राजनीतिक दलों से संबंधित प्रश्न होंगे। मध्यप्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक विकास, उद्योग धन्धे, योजनायें, आर्थिक कार्यक्रम मध्यप्रदेश का व्यापार, जनांकिकीय एवं जनगणना से संबंधित प्रश्न होंगे।
9. **सामान्य मानसिक योग्यता :**
   संख्यात्मक योग्यता, तर्क, कूट, आंकड़ों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष।
10. **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी :**
   अभिलक्षण, प्रयोग और शब्दावलियों, वेबसाइट, ऑनलाईन सर्च इंजिन, ई-मेल, वीडियो मेल, चेटिंग, वीडियो कान्फ्रेन्स, हेंगिंग, क्रेकिंग, वायरस और सारबर अपराध से संबंधित प्रश्न होंगे।

Mining Inspector
Compulsory Subject
GENERAL STUDIES

1. **General Science and Environment:**
   Questions on general science and Environment will cover general appreciation and understanding of science including matters of every day observation and experience as may be expected of a well educated person who has not made a special study of any particular scientific discipline.
2. **Current Events of National & International Importance :**
   In current events knowledge of significant National and International leveling will be tested.
3. **History of India and Independent India :**
   In History, questions of general knowledge related to social, economic and political aspects will be asked. Also, there will be questions on Indian National Movement and Development of Independent India.
4. **Geography of India :**
   There will be questions of general knowledge relating to physical, social and economic geography. It will also include questions on Indian Agriculture and Natural resources. There will be questions pertaining to demography and census of India.
5. **Indian Polity and Economy :**
   There will be questions on political system and continuation of the country, Panchayati Raj, social system, economic development, elections, political parties, plans, industrial development, foreign trade and economic and financial institutions.
6. **General and Sports :**
   There will be questions pertaining to important games and sports tournaments. Awards and personalities for M.P., India, Asia and World.
7. **Geography, History and Culture of M.P. :**
   There will be questions related to Mountains, rivers, climate, Flora and Fauna, Minerals transportation and development of history. It will also have questions relating to important dynasties of M.P., Tribals, Arts, Architecture, Fine Arts and Historical personalities of M.P.
8. **Polity and Economy of M.P. :**
   There will be questions related to Political system, political parties and elections, Panchayati Raj, Social system and economic development of M.P. This will also include questions on Industry, Plans, Economic programmes, business, demography and census of M.P.
9. **General Mental Ability :**
   This will include question related to numerical ability, reasoning, coding, data analysis and interpretation and analogy.
10. **Information and Communication Technology :**
   This will include questions pertaining to characteristics, uses and terminologies such as website, online, search engine, e-mail, video mail, chatting, video conferencing, hacking, cracking, virus and cyber crime.

ऐच्छिक विषय
कोड क्रमांक - 01 भू-विज्ञान

भाग - I

अ. **सामान्य भू विज्ञान एवं भूगतिकी :**
सौर-मंडल, पृथ्वी : इसकी उत्पत्ति, आयु एवं आंतरिक संरचना। ज्वालामुखी : प्रकार, वितरण, कारण एवं प्रभाव। भूकंप : परिणाम, तीव्रता, वितरण, कारण एवं प्रभाव। समस्थिति की प्रारंभिक धारणा। भू-अभिनति, पर्वतन, महाद्वीपीय विस्थापन, समुद्र तल विस्तारण, पुराचुम्बकत्व एवं प्लेट विवर्तनी।

ब. **भू आकृति विज्ञान :**
मूल अवधारणाएं, वाह्य एवं अंतः प्रक्रम। शैल अपक्षय, अपरदन चक्र, जलीय भू आकृतियां एवं प्रवाह तंत्र, पवन, समुद्र, हिमनद एवं कार्स्ट-स्थताकृति के द्वारा निर्मित भू आकृतियां। सुदूर-रावेदन के तत्व।

स. **संरचनात्मक एवं क्षेत्र भू विज्ञान :**
प्राथमिक एवं द्वितीयक संरचनाएं। संस्तरों की नीति एवं नतिलम्ब। प्रवणतामापी दिग्सूचक एवं उसके उपयोग। वलन, भ्रंश एवं विषमविन्यास का वर्णन, वर्गीकरण एवं अभिज्ञान। संधियों, शल्कन एवं रेखण का वर्णन एवं वर्गीकरण। वलन एवं भ्रंशों का दृश्यांशों पर प्रभाव। शैल विरूपण की प्रारंभिक अवधारणा।

भाग - II

अ. **क्रिस्टल विज्ञान :**
क्रिस्टल के तत्व एवं सममिती, क्रिस्टल विज्ञान के नियम। सात क्रिस्टल समुदायों के सामान्य वर्गों की सममिती एवं स्वरूप। क्रिस्टलों में यमलन।

ब. **खनिज विज्ञान :**
प्रकाशिकी के सिद्धांत, अपवर्तनाक, द्विअपवर्तन, बहुवर्णता एवं विलोपन, ध्रुवण सूक्ष्मदर्शी के उपयोग। निम्नलिखित खनिजों समूहों के भौतिक, रासायनिक एवं प्रकाशीय गुण : क्वार्टज्, फेल्सपार, माइका, पायराक्जीन, एम्फीबोल, ओलिवीन गार्नेट, क्लोराइट, कार्बोनेट एवं जियोलाइट। सिलिकेट संरचना।

स. **आर्थिक भू विज्ञान :**
अयस्क, अयस्क खनिज एवं अधात्री खनिज। खनिज निक्षेपों का वर्गीकरण। अयस्कों के निर्माण के प्रमुख प्रक्रम। निम्न अयस्कों की प्राप्ति की अवस्था, उत्पत्ति एवं भारत में वितरण : एल्यूमीनियम, क्रोमियम, तांबा, सोना, सीसा-जस्ता, लौह एवं मैगनीज। अपघर्षण, अग्निसह तथा सिरेमिक के रूप में काम आने वाले खनिज निक्षेप। कोयला एवं पेट्रोलियम निक्षेप।

भाग - III

शैलिकी का परिचय, शैलों का वर्गीकरण एवं उनके विभेदक संलक्षण :

अ. **आग्नेय शैलिकी :**
मैग्मा की उत्पत्ति एवं आग्नेय शैलों की उत्पत्ति। बावेन प्रतिक्रिया श्रृंखला एवं प्रतिक्रिया सिद्धांत। द्विघटकीय मैग्मा का क्रिस्टलीकरण, आग्नेय शैलों का वर्गीकरण। आग्नेय शैलों की आकृति, गठन एवं संरचनाएँ। ग्रेनाइट, सायनाइट, डायोराइट, मेफिक एवं अल्ट्रामेफिक समूह, अनार्थोसाइट एवं अल्कलाईन शैलों का संगठन, गठन उत्पत्ति एवं प्राप्ति की अवस्था।

ब. **अवसादी शैलिकी :**
अवसादी शैलों की उत्पत्ति, वर्गीकरण, गठन एवं खनिज संलक्षण। अवसादी शैलों की संरचनाएँ। बलुआपत्थर, संगुटिकाश्म, चूनापत्थर, संकोणाश्म एवं शैल की उत्पत्ति एवं संलक्षणों की प्रारंभिक अवधारणा।

स. **कायान्तरण शैलिकी :**
कायान्तरण के प्रकार एवं कारक। कायान्तरण गंभीरता मंडल, श्रेणी एवं संलक्षिणी। क्षेत्रीय एवं संस्पर्श कायान्तरण। कायान्तरित शैलों का गठन एवं संरचना। मृण्मय, बालुकामय शैल एवं अशुद्ध चूनापत्थर का कायान्तरण। प्रतिस्थापन। शिष्ट, नीस, संगमरमर, एम्फीबोलाइट, वारनोकाइट, गोण्डाइट एवं खोण्डालाइट का संगठन, संरचना एवं उत्पत्ति।

भाग - IV

अ. **स्तरिकी :**
स्तरिकी के सिद्धांत। अश्म स्तरिक, काल स्तरिक एवं जैव स्तरिक इकाई की मूल अवधारणा। संस्तरिकी सहसंबंध की कसौटियाँ। भारत का भूआकृतिक विभाजन एवं भारत की स्तरिकी की रूपरेखा। धारवार, विन्ध्यन, गोण्डवाना महासंघ एवं सिवालिक समूह के मुख्य उप विभाजन, अश्मविज्ञान, जीवाश्म, भौगोलिक वितरण एवं आर्थिक महत्व के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण।

ब. **जीवाश्म विज्ञान :**
जीवाश्म एवं जीवाश्मन। परिरक्षण की अवस्था एवं जीवाश्मों के उपयोग। ब्रेकियोपोड, गेस्ट्रोपोड लेमिलीब्रेंक, अमोनाईट, कोरल, ट्राइलोबाइट, इकीनाइड का आकृति विज्ञान एवं भूवैज्ञानिक इतिहास। गोंडवाना वनस्पति जगत।

Optional Subject
Subject Code – 01 Geology

Part-I

a) **General Geology and Geodynamics :**
Solar system, the earth : its origin, age and interior of the earth. Volcanoes : types, distribution, causes and effects. Earthquakes : intensity, magnitude, distribution causes and effects. Elementary ideas about isostasy, Geosynclines, mountain building, continental drifting, sea floor spreading, palacomagnetism and plate tectonics.

b) **Geomorphology :**
Basic concepts, External and internal process. Rock weathering, Cycle of erosion. Fluvial landforms and drainage patterns. Landforms of acolian, marine, glacial and "karst" landscapes. Elements of Remote sensing.

c) **Structural and field geology :**
Primary and secondary structures. Dip and strike of beds. Clinometer compass and its use. Description, Classification and recognition of folds, faults and unconformities. Description and classification of joints, foliation and lineation. Effects of folding and fauling on outcrops. Elementary idea about rock deformation.

Part – II

a) **Crystallography :**
Elements of crystal and crystal symmetry. Laws of crystallography. Symmetry elements and forms of normal classes of seven crystal systems. Twinning in crystals.

b) **Mineralogy :**
Principles of optics, refractive index, double refraction, pleochroism and extinction. Uses of simple polarizing microscope. Physical, Chemical and optical properties of following mineral groups : Quartz, Feldspar, Mica, Pyroxene, Amphibole, Olivine, Garnet, Chlorite, Carbonates and Zeolites. Silicate structures.

c) **Economic Geology :**
Ore, Ore mineral and gangue. Classification of ore deposits. Important processes of ore formation. Occurrence, origin and distribution of following ores in India : Aluminium, Chromium, Copper, Gold, Lead, Zinc, Iron, Manganese. Deposits of minerals used as abrasives, refractories and in ceramics. Deposits of coal and petroleum.

Part – III

Introduction of petrology, classification of rocks and their distinguishing characters.

a) **Igneous Petrology :**
Origin of magma and formation of igneous rocks. Bowen's reaction series and reaction principle. Crystallisation of binary systems. Classification of igneous rocks. Forms, Textures and structures of igneous rocks. Composition, texture origin and mode of occurrence of Granite, Syenite, Diorite, Mafic and Ultramafic groups, Anorthosites and Alkaline rocks.

b) **Sedimentary Petrology :**
Origin, classification, textural and mineralogical characteristics of sedimentary rocks. Structures of sedimentary rocks. Elementary idea about the origin and characteristics of sandstone, conglomerate, limestone, breccia and shale,

(शेष अगले पृष्ठ पर)

c) Metamorphic Petrology :

Types and factors of metamorphisms, Zones, grades and facies of metamorphism. Regional and contact metamorphism. Textures and structures of metamorphic rocks. Metamorphism of argillaceous, arenaceous sediments and impure limestone. Metasomatism. Composition, structure and origin of schist, Gneiss, marble, amphibolite, charnockite, gondite and Khondalite.

Part – IV

a) Stratigraphy :

Principles of Stratigraphy, Basis concept of Lithostitigraphic, Chronostratigraphic and Biostratigraphic units. Criterion of stratigraphic correlation, Physiographic divisions and outline of stratigraphy of India. Brief study of Dharwar, Vindhyan, Gondwana supergroups and Siwaliks with reference to their major subdivisions, lithology, fossils, geographic distribution and economic importance.

b) Palaeontology :

Fossils and Fossilization. Mode of preservation and uses of fossils. Study of morphology and geological history of brachiopods, gastropods, lamellibranchs, Ammonites, Corals, Trilobites, Echinoids and Gondwana flora.

Subject: Code – 02 Diploma in Mining

1. Mining Technology :

Site selection techniques, Modes of entry to underground mines, shaft sinking methods and techniques, Drilling techniques, Explosives used in mines, Detonators, Blasting practice in underground mines and opencast mines. Blasting equipment and accessories. Precautions in blasting operations. Methods of working in underground metalliferous and underground coal mines. Methods of working in opencast mines. Types and techniques of roof support, Water management in mines, Mine lighting techniques, Mine transportation in underground & opencast mines, Machines and equipment in underground and opencast mines, Their characteristic features & applicability, Stowing methods, Mine subsidence.

2. Mining Geology :

Physical Geology, Interior of the earth, Weathering, Work of wind & rivers. Earthquakes. Volcanoes, Mineralogy, Physical properties of minerals. Identification of common minerals, Petrology, Study of igneous, sedimentary & metamorphic rocks, Structural Geology. Dip and Strike, Folds, Faults, Unconformities, Joints, Stratigraphy, Fossils, Geological Time Scale, Stratigraphic classification of Indian rocks-formations, classification of ore deposits, Ranks of coal, Origin of coal, Occurrence of coal in India, Mineral wealth of India, Prospecting methods, Ground water occurrence, Water table, Porosity & Permeability.

3. Mine Surveying :

Principles of surveying, Distance measurement techniques, chain surveying, compass surveying, plane table surveying, computation of areas & volumes, surveying with Miner's Dial, Underground surveying, transfer of survey stations from roof to floor and floor to roof, making of centre line in underground, locations, leveling techniques and instruments, contouring techniques, subsidence survey, lateral and vertical displacement calculations, surveying methods with Theodolite, detail of Theodolite instrument, bore hole surveying, dip, strike & bore hole problems, curve fitting, super elevation, stope surveying, correlation surveying.

4. Mine Management & Legislation :

Principles of scientific Management, Managerial functions in mines. Work study, Time study, Motion study, Planning, Organizing, Staffing, Direction, Control, Classifications and causes of accidents in mines, Safety aspects in mining, Important provisions related with safety and management of mines made in Mines Act, Mines Rules, Coal Mines Regulations, Metalliferous Mines Regulations, Legislation of MP State pertaining to grant of mining lease & royalty on minerals, Functions of Department of Mineral Resources, Govt. of M.P.

5. Mine Environmental & Ventilation Engineering :

Properties of gases found in mines, Techniques for detection of mine damps, Construction and application of flame safety lamps. Causes, prevention & control of mine fires. Spontaneous heating, Incubation period, Causes & precautions against fire damp explosion and coal dust explosion, Coward's diagram, Mine rescue apparatus and operations, Natural ventilation, NVP, Mechanical ventilation, Axial flow fans, Centrifugal fans, Forcing fans, Exhaust fans, Auxiliary fans, Booster fans, Ventilation devices, Air-crossing, Splitting of mine air, Standards of ventilation, Laws of air flow in underground mines, Ventilation survey.